

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

सुरजाराम बनाम् देवीलाल आदि

प्रकरण संख्या-03/2023

प्रकरण-अन्तर्गत धारा-212 आर.टी.ए.

2023/7
जी.सी.एम.एस नं.-

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
------------	---	-----------------------------------

06.01.2023

आज यह पत्रावली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक-6 के ए तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.-11 पत्थर नं.-157/56 का 1ता16, किला नं.-17ता19, किला नं.-20, किला नं.-21/1ता25/1 कुल 6.2000 हैक्टर एवं चक 7 के ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-3 पत्थर नं.-137/25 की 1ता19, किला नं.-20/1 कुल 7.5100 हैक्टर विवादित आराजी में बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे।

सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए. डी. के पेश करे। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आयंदा दिनांक-01.02.2023 को पेश हो।

(प्रियंका तलनिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़



1-23 पत्रावली 5/1/23 वकील सुरज कुमार
प्रार्थी के तलबी हेतु नोटिस रजि. ए. डी. के पेश
किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त
मानी जावेगी। पत्रावली आयंदा दिनांक-01.02.2023 को पेश हो।

आदेश तारीख

आदेश का विवरण नय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

13 ³/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक सच द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयब्दा दिनांक 6/3 को प्रस्तुत हो।



~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक सच द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयब्दा दिनांक 6/3 को प्रस्तुत हो।~~

16 ⁵/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आयब्दा दिनांक 28/6/23 को प्रस्तुत हो।



28 ⁶/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईब्दा दिनांक 7/8/23 को पेश हो।



7 ⁸/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईब्दा दिनांक 26/9/23 को पेश हो।



26 ³/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईब्दा दिनांक 7/11/23 को पेश हो।



17 ¹¹/₂₃

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईब्दा दिनांक 22/11/23 को पेश हो।



22 ¹/₂₄

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईब्दा दिनांक 29/12/23 को पेश हो।



29/8/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील का श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

9/11/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील श्रीमान् P.O. साहब चुनाव कार्या में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 9/11/24 को पेश हो।

24/5/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज आमभाषक सचिव काय स्थगित रखा। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/5/24 को प्रस्तुत हो।

9/11/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश में है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/11/24 को प्रस्तुत हो।

16/8/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/8/24 को पेश हो।

23/9/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

28/10/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/10/24 को पेश हो।

9/12/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 9/12/24 को पेश हो।

सुरेश रविवर
उपसंहार अधिकारी
अनूपगढ़